न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—06/2018/223 (2018/06)

1. घनश्याम पुत्र कालू, जाति कुमावत, निवासी ग्राम श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कान्तादेवी पत्नि घनश्याम,
2. गौरीशंकर पुत्र घनश्याम,
3. मनीष पुत्र घनश्याम,
4. पायल पुत्री घनश्याम नाबालिग जरिये सरंक्षक वली माता श्रीमती कान्ता देवी पत्नि घनश्याम ।
5. मु0 रामेश्वरी देवी पत्नि भंवरलाल (नाम तर्क)
6. बालस्वरूप पुत्र भंवरलाल,
7. मुकेश चंद पुत्र भंवरलाल,
8. अरविन्द पुत्र भंवरलाल,
9. कौशल्या देवी पुत्री भंवरलाल,
10. मंजूदेवी पुत्री भंवरलाल,

समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम श्रीनगर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
12. उप पंजीयक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड, नसीराबाद दिनांक 26.5.2015 अंतर्गत वाद संख्या 163/2014.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. रेस्पो0 संख्या 6 से 8 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 व 12.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 31.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत <u>4/वादीगण</u> ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, नसीरबाद के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट व अन्य <u>प्रतिवादीगण/रेस्पो0</u> संख्या 5 लगायत 10 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 188 व 92—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है । ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 869/895 रकबा 0.69 है0 की आराजियात वादीगण के दादा कालू पुपत्र मूला की पुश्तैनी थी जिसकी विरासत नामांतकरण संख्या 392 द्वारा वादीगण के पिता/पति व बड़े पिता भंवरलाल के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पति/पिता ने व प्रतिवादी संख्या 7

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भंवरलाल के वारिस है । वादगण उक्त पैतृक आराजी पर जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है इसलिये विवादित आराजी का वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2015 को पारित कर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी पैतृक भूमि है या नहीं क्योंकि वादी न तो दस्तावेजी साक्ष्य से ना ही मौखिक साक्ष्य से साबित था कि विवादित आराजी पैतृक भूमि है किन्तु अधी0न्याया0 ने विवादित आराजी को पैतृक भूमि मानते हुए गैर कानूनी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल के तहत फर्द अहकाम पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने फर्द अहकाम पर निर्णय पारित किया है जो रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल के विरूद्ध होने से निर्णय की परिभाषा में नहीं होने से निरस्तनीय है । अपीलांट/प्रतिवादी जो कि वादीगण/रेस्पो0 का पति/पिता है तथा अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा अपीलांट घनश्याम अभी जीवित है । कानूनी प्रावधानों के तहत पति/पिता के जीवित रहते हुए उसके वारिसानों पत्नि, पुत्र व पुत्रियों को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है किन्तु अधी0न्याया0 ने मनमाने तौर पर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 को अपीलांट को प्रोपर तामील करवाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण को लोक अदालत में रखकर एकतरफा में डिक्री किया है जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वादी की साक्ष्य लिये बिना व प्रतिवादी का जवाब लिये बिना पत्रावली को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट श्रीनगर में नियत कर वादी की बहस सुनकर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर आज दिनांक मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है जबकि रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपीलांटस के साथ नहीं रहकर कैलाश कुमावत कचौरी वाले, रेल्वे स्टेशन के सामने बिजयनगर के यहां पर निवास करते है । विवादित आराजियात पर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही आज दिनांक को है। इसके बावजूद अधी0नया0 ने एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना प्रोपर तामील कराये व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर एकपक्षीय बहस वादीगण की सुनकर अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये । उक्त आदेश की पालना में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने राजस्व कर्मचारियां से मिलीभगत कर विवादित आराजियात में से अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से तर्क करवा दिया

है । इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अधी0न्याया0 ने गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को बिना प्रोपर तामील कराये एवं बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.11.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा भू–माफिया लोगों के साथ मौके पर आगर प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने एवं कब्जा लेने की धमकी दिये जाने पर कि संपूर्ण भूमि हमारे नाम करवा ली है और भूमि का बैचान करेंगे जिस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से दिनांक 19.11.2017 को जानकारी की । तत्पश्चात् अपीलांट ने दिनांक 20.11.2017 को नसीराबाद जाकर वकील से संपर्क कर मुकदमें की जानकारी कर नकल के लिए आवेदन किया । नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात वादीगण के दादा कालू वल्द मूला की पुश्तैनी आराजियात थी । कालू के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 392 द्वारा वादीगण के पिता एवं बड़े पिता के नाम अभिलेख में दर्ज की गई । इस प्रकार विवादित आराजियात वादीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की सम्पति में पोते एवं पोतियों का हक हिस्सा जन्म से ही सुनिश्चित है । प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा उक्त आराजियात को बैचान किये जाने के कारण वादीगण/रेस्पो0 को वाद पेश करना आवश्यक हुआ था । विवादित आराजियात पैतृक होने से वादीगण/रेस्पो0 को उसके हक व हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने वादीगण को अपीलांट के साथ पैतृक आराजियात में खातेदार घोषित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के वाद के सम्मन अपीलांट को तामील हो गये थे किन्तु बावजूद सूचना के अपीलांट जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे है । इसी कारण अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 869/895 किता 5 रकबा 0.69 है0 आराजी वादीगण के दादा

कालू पुत्र मूला की पुश्तैनी थी जिसकी विरासत नामांतकरण सख्या 392 द्वारा वादीगण के पिता/पति व बड़े पिता भंवरलाल के नाम दर्ज की गई है । विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से वादीगण का भी विवादित आराजियात में हक व हिस्सा निहित है । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2015 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट घनश्याम के साथ वादीगण को भी खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । ग्राम श्रीनगर, तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 869 पुराना 895 के खसरा नंबर 3980, 3981, 3990, 4004, 4005 कुल किता 5 कुल रकबा 0.6900 है0 भूमि भंवरलाल व घनश्याम पि0 कालू ब0हिस्सा कौम कुमावत सा0देह खातेदार का अंकन है । जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2020 से 2023 के अनुसार खसरा संख्या 836, 2322, 2323, 2322 व 2325 कालू वल्द मूला कौम सिलावट 1 हिस्सा बोदू वल्द काना कौम सिलावट का अंकन है । उक्त आराजियात जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 392 से भंवरलाल व घनश्याम पि0 कालू के नाम स्वीकृत किये जाने का अंकन है । उक्त नामांतकरण से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पक्षकारान की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट घनश्याम के पुत्र व पुत्री का दादा की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार निहित है । पुत्र व पुत्रियां पिता के जीवित रहते अपने दादा की सम्पति में घोषणा प्राप्ति के अधिकारी है किन्तु पति के जीवित रहते पत्नि को पैतृक सम्पति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । अधी0न्याया0 ने कालू पि0 मूला की सम्पति में पोते एवं पोतियों को खातेदार विधिसम्मत् रूप से घोषित किया है किन्तु पति के जीवित रहते रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती कान्ता पत्नि घनश्याम को भी पैतृक सम्पति में खातेदार काश्तकार घोषित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पति के जीवित रहते पत्नि पैतृक सम्पति में किसी प्रकार के हक व अधिकारों की घोषणा नहीं करवा सकती है केवल मात्र पुत्र एवं पुत्रियां ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की सम्पति (पैतृक सम्पति) में घोषणा प्राप्ति के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर पैतृक सम्पति में पुत्र एवं पुत्री के साथ पति के जीवित रहते रेस्पो0 संख्या 1/वादी श्रीमती कान्ता को भी खातेदार घोषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2015 संशोधन योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2015 में आंशिक संशोधन किया जाकर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती कान्ता को घनश्याम पुत्र कालू के साथ खातेदार घोषित किये जाने की हद तक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2015 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट घनश्याम पुत्र कालू के 1/2 हिस्से में अपीलांट घनश्याम एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 गौरीशंकर, मनीष पुत्रगण घनश्याम एवं पायल पुत्री घनश्याम प्रत्येक को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर